रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शुक्रवार अक्तूबर 17, 1997/आश्विन 25, 1919

No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1997/ASVINA 25, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1997

फा. सं. टीएएमपी/4/97-टी ए एम पी.—महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, तूतीकोरिन पत्तन न्यास के संबंध में भाग-II "कारगो सम्बद्ध प्रभार" के अन्तर्गत अध्याय-I "घाट देय राशि" के नीचे पैरा 5 के स्थान पर नीचे दिए अनुसार रखा है :—

पैरा 5: उतारे गए माल का मूल्यांकन

तूतीकोरिन पत्तन के भीतर उतारे जाने वाले समस्त माल को आयात आवेदन पर मूल्यांकित किया जायेगा और घाट देय राशि का माल उतारे जाने के तत्काल बाद भुगतान करना होगा।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला संख्या टी ए एम पी/4/97-टी पी टी)

तूतीकोरिन पत्तन न्यास .... **आवेदक**

आदेश

(सितम्बर, 1997 की 15 तारीख को पारित)

यह मामला घाट देय राशि की वसूली के लिए विद्यमान उपबंध के संशोधन हेतु तूतीकोरिन पत्तन न्याय (टीपीटी) के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से संबंधित है। विद्यमान उपबंध को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 58 के समरूप संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

2. "कारगो सम्बद्ध प्रभार" के अन्तर्गत दरमानों के पैरा (5) में निर्धारित है कि उतारे गए माल के प्रभार माल के पत्तन के बाहर जाने से पूर्व देय होंगे। यह उपबंध महापत्तन न्याय अधिनियम (1963) की धारा 58 का उल्लंघन करता है जिसमें प्रावधान है कि उतारे जाने वाले माल की दरें माल उतराई पर देय होंगी।

3. तदनुसार, सरकार ने दिनांक 23 अक्तूबर, 1996 के पत्रांक पी आर-20021/5/94-पी जी द्वारा पत्तन को, महालेखाकार, चेन्नई द्वारा यथाप्रस्तावित, महापत्तन न्यास अधिनियम (1963) की धारा 58 के अनुरूप दरमानों के पैरा (5)में संशोधित करने के अनुदेश दिये थे। सरकार ने पत्तन को घाट प्रभारों के भुगतान के लिए माल उतराई की तारीख से 45 दिनों की अनुमति दिए जाने संबंधी अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1990 के परिपत्र सं. टी-63/3/89/डी को वापस लेने का निदेश दिया था।

4. मंत्रालय की सलाह पर, तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टी पी टी) ने बोर्ड के न्यासियों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महापत्तन न्यास अधिनियम (1963) की धारा 58 के अनुरूप दरमानों के उपबंध में संशोधन करने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव भेज दिया है।

5. तूतीकोरिन पत्तन न्यास का दरमानों के उपबंध में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव महापत्तन न्यास अधिनियम (1963) की धारा 58 के अनुरूप है, अत: अनुमोदन दिया जाता है। तदनुसार, भाग-II "कारगो सम्बद्ध प्रभार" के अन्तर्गत अध्याय-I "घाट देय राशि" के नीचे पैरा (5) के स्थान पर नीचे दी पंक्तियों को रखा जायेगा।

पैरा 5: उतारे गए माल का मूल्यांकन

तूतीकोरिन पत्तन के भीतर उतारे जाने वाले समस्त माल को आयात आवेदन पर मूल्यांकित किया जायेगा और घाट देय राशि का माल उतारे जाने के तत्काल बाद भुगतान करना होगा।

एस सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1997

F. No. TAMP/4/97-TAMP.—In exercise of the powers conferred by section 48 and section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 od 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby substitutes Para 5 below Chapter I- "Wharfage Dues" under Part-II "Cargo related charges" in respect of Tuticorin Port Trust, as under—

PARA 5: Assessment of Goods landed

All goods to be landed within the port of Tuticorin shall be assessed on import application and wharf dues shall be paid immediately on the landing of the goods.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

(Case no. TAMP/4/97-TPT)

TUTICORIN PORT TRUST ..... APPLICANT

ORDER

(Passed on this 15 day of September, 1997)

This case deals with the proposal of the Tuticorin Port Trust (TPT) for modification of the existing provision for collection of wharfage dues. The existing provision is proposed to be modified in conformity with Section 58 of the MPT Act, 1963.

2. Para (5) of the Scale of Rates under "Cargo Related Charges" stipulates that the charges on goods landed shall be payable before the goods are removed outside the Port. This provision contravenes Section 58 of the MPT Act (1963) which provides that the rates in respect of goods to be landed shall be payable on landing of the goods.

3. Accordingly, the Government vide letter No. PR20021/5/94-PG dated 23 October, 1996 had instructed the Port to revise para (5) of Scale of Rates in tune with Section 58 of the MPT Act (1963), as proposed by the Accountant General, Chennai. The Government had also directed the Port to withdraw its circular No. T-63/3/89/D dated 17 September, 1990 allowing 45 days from the date of landing for payment of wharfage charges. The Port has already withdrawn the circular.

4. Based on the advice of the of the Ministry, the Tuticorin Port Trust (TPT) has forwarded the above proposal to amend the provision of Scale of Rates in tune with Section 58 of the MPT Act (1963) after obtaining the approval of the Board of Trustees.

5. The proposal of the TPT to amend the provision of Scale of Rates is in tune with Sction 58 of the MPT Act (1963) and is, therefore, approved. Accordingly, the following shall be substituted in place of para (5) below Chapter I "Wharfage Dues" under Part II "Cargo related charges".

PARA 5: ASSESSMENT OF GOODS LANDED

All goods to be landed within the port of Tuticorin shall be assessed on import application and wharf dues shall be paid immediately on the landing of the goods.

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-1100 64
P by of P 1 54 7